

प्रस्ताव की शर्तों का संक्षेप

(प्रति की तारीख के साथ गैरकल अधिकारी द्वारा करा जायेगा)

भाग- 2

(सम्बन्धित रूप वन संरक्षण द्वारा करा जात्रा है)

प्रस्ताव की शर्तों का संक्षेप

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. योजना/स्कीम का स्थान | राज्य- पातपुर तहसील-बीकानपुर जलपथ-कैलावाप |
| (1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
| (2) जिला | कैलावाप |
| (3) वन प्रभाग | सामाजिक पत्रिकी वन प्रभाग,कैलावाप |
| (4) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
हे० में | 0.100 हे० |
| (5) वन की कानूनी स्थिति | संरक्षित वन भूमि पर स्वाधिस एकड़पर 0.50 हे० विभाग का है |
| (6) इतिहास का घनत्व | 0.3 (30 प्रतिशत) |
| (7) प्रजातियां वैज्ञानिक नाम और परिधि-अभिजात पृष्ठों
की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/जलीय
परियोजना को सम्बन्ध में एकड़पर 0.50 हे०-2 मीटर पर
परिगणना और एकड़पर 0.50 हे०-4 मीटर भी संलग्न
हिए जाए। | कोई वैज्ञानिक पृष्ठ नहीं है। |
| (8) वनोत्तर प्रयोग के लिए वन क्षेत्र की सर्वेक्षणशीलता पर सक्षम
दिष्णपी | राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे घोषित संरक्षित वन पट्टी क्षेत्र है उसे कि
समतल एवं उपजाऊ होने के कारण वनस्पति-उपजा प्रजातियों को
उत्पन्न रूप न्यूनतम सम्पदनशील है। |
| (9) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा की
अनुमानित दूरी | राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित है
प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थान से नहीं है। |
| (10) क्या पानी राष्ट्रीय स्तर पर पंचजीव अभयारण्य क्षेत्र/संरक्षित
रिजर्व वन/रिजर्व शब्दों के अंतर्गत आदि का भाग है यदि
है क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की
दिष्णियों अनुसंधित की जाए | नहीं |
| (11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और अभिजात की पुराण/
संरक्षित विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हाँ तो
संरक्षण की ब्योरा है। | नहीं |
| (12) क्या पक्षी सुरक्षित पुराणस्थल/परम्परागत स्थल/वन
प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित
है यदि हाँ तो संरक्षण की ब्योरा संलग्न प्राधिकरण से
आपावति प्रमाण पत्र के साथ यदि उपलब्ध हो है। | नहीं |
| 8- प्रयोग एजेसी द्वारा भाग-2 का अनु. 2 में प्रस्तावित वन भूमि
की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि
नहीं तो उचित पर-विशेषों के ब्योरा के साथ मददपर प्रस्तावित
क्षेत्र क्या है। | प्रयोग एजेसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि की क्षीण
न्यूनतम है। |
| 9- क्या अभिनिर्माण के उद्देश्य से कोई कार्य किया गया है
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अधिकारी की अधिकारियों पर
की गई कार्यवाही शक्ति का ब्योरा है तथा उल्लेखन
संरक्षण कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं |

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का न्यौरा-

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अधिकृत वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी नू खण्डों की संख्या प्रत्येक नू खण्ड का आयतन। संलग्न है।

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अधिकृत वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। रिक्त

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण का अध्ययन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत आदि। रिक्त

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिचय। रिक्त

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सखन प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)। संलग्न है।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उच्युक्त कालम 7 (a, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।

12- विभाग जिला प्रभागद्वारा

(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

(2) जिले का वन क्षेत्र

2648.20 वर्ग किलोमीटर

3646.202 हे०

(3) भागलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया कुल वन क्षेत्र : 24 मामले 99.422 हे०

(4) 1980 से जिला प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में वनीकरण सहित वन भूमि

: रिक्त

(ख) वनेत्तर भूमि पुरक

: रिक्त

(5) अमलक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर

: 68.32 हे०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

: रिक्त

13- प्रस्ताव की स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

: संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु न्यू रिटेल आउट लेट खोलने हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक- 13-2-2017

स्थान- कंजाबाद

(का० रवि कुमार सिंह)

प्रमुख वन अधिकारी
वन संरक्षण विभाग
कंजाबाद